

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 7/11/2025

क्रमांक/स्था.-1/निलंबन/817633/2025/ 24961

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1370

(अतारकित) से उद्भूत जांच के संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक, सागर संभाग द्वारा जांच प्रतिवेदन उनके पत्र क्रमांक 5283 दिनांक 18.11.2025 से प्रेषित किया गया है।

2/ प्रतिवेदन अनुसार GPF, NPS, EPF जमा करने हेतु संचालनालय द्वारा प्रदान संचित निधि से राशि रूपये 20,86,602/- के आहरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। श्री रामसजीवन पटेल प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आहरित राशि से स्वीकृति आदेश के विरुद्ध राशि रूपये 15,10,000.00 का अनियमित/अन्य मदों में भुगतान किया गया। जिसके लिये श्री रामसजीवन पटेल उत्तरदायी है।

अतः उक्त के दृष्टिगत श्री रामसजीवन पटेल (मूलपद राजस्व उप निरीक्षक), प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद घुवारा जिला छतरपुर को मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 86, 95 एवं कार्यपालन नियम 1973 के नियम 36 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

श्री रामसजीवन पटेल की निलंबन अवधि में इनका कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, सागर संभाग रहेगा एवं श्री रामसजीवन पटेल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी, जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर परिषद घुवारा जिला छतरपुर द्वारा किया जाएगा।

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(संकेत भोंडवे)

आयुक्त

नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठां. क्र. स्था.-1/निलंबन/817633/2025/ 24962 भोपाल, दिनांक 27/11/2025
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, सागर संभाग। श्री रामसजीवन पटेल के विरुद्ध जारी किये जाने वाले आरोप पत्रादि के प्रारूप तैयार कर 10 दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
5. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण छतरपुर, मध्यप्रदेश।
6. अध्यक्ष, नगर परिषद, घुवारा, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश।
7. श्री रामसजीवन पटेल, प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, घुवारा, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश।
8. वेब कन्टेंट मैनेजर।

आयुक्त

नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपालअनुमान अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

नगरीय विकास एवं आवास विभाग



क्रमांक/स्था./शा.-1/2025/२५९८।

भोपाल, दिनांक-२२/11/2025

:: कार्यालयीन टीप ::

विषय:- विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1440 सत्र-नव. दिस. 2025 (नगर परिषद घुवारा में नियुक्तियों एवं निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार) के संबंध में।

संदर्भ:-कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, सागर संभाग, सागर का जांच प्रतिवेदन क्रमांक 5344 दिनांक 21.11.2025।

//00//

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1370 (अतारांकित) से उद्भूत जांच के संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक सागर संभाग द्वारा जांच प्रतिवेदन उनके पत्र क्रमांक 5283 दिनांक 18.11.2025 से प्रेषित किया गया है। जिसमें माननीय अध्यक्ष श्रीमती गुड्डी बाई, नगर परिषद घुवारा जिला छतरपुर उत्तरदायी पायी गयी है।

अतः श्रीमती गुड्डी बाई, अध्यक्ष, नगर परिषद घुवारा, जिला छतरपुर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार


(भविष्य खोब्रागडे)
उप संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रति,

01/11/25
अपर संचालक (शिकायत)
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल


अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
Tel. 0755-2552438, Fax 0755-2550294
Email:- ao@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक/स्था./शा. 1/2025/१५०३२

भोपाल दिनांक २७/११/२०२५

कार्यालयीन टीप:

विषय:- विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1440 रात्र-नव.दिस. 2025 (नगर परिषद धुवारा में नियुक्तियों एवं निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार) के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर का जांच प्रतिवेदन क्रमांक 5344 दिनांक 21.11.2025।

//00//

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1370 (अतारांकित से उद्भूत जांच के संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक सागर द्वारा जांच प्रतिवेदन उनके पत्र क्रमांक 5283 दिनांक 18.11.2025 से प्रेषित किया गया है। जिसमें श्री रत्नेश दुबे तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सेवा निवृत्त राजस्व उपनिरीक्षक) नगर परिषद धुवारा जिला छतरपुर उत्तरदायी पाये गये हैं।

अतः श्री रत्नेश दुबे तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सेवा निवृत्त राजस्व उपनिरीक्षक) नगर परिषद धुवारा जिला छतरपुर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण आपकी ओर प्रेषित है।

संदर्भ:- उपरोक्तानुसार

(भविष्य खोब्रागढ़े)

उपसंचालक

नगरीय प्रशासन एवं विकास

प्रति,

अपर संचालक (पेंशन शाखा-5)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग